हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा प्रायद्वीपीय नदियों का जोड़ा जाना

1042. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा देश में हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने के संबंध में किए जा रहे अनुसंधान तथा अध्ययन में अब तक कितनी प्रगति हुई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

(ख) इस योजना की अनुमानित लागत क्या है और इस योजना के कब तक तैयार होने की संभावना है; और

(ग) क्या इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रारम्भ करने के लिए कोई तारीख निश्चित की गयी है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिमालयी नदी विकास तथा प्रायद्वीपीय नदी विकास नामक दो घटक हैं। शुरूआत के तौर पर वर्ष 1982 में स्थापित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक की व्यवहार्यता को स्थापित करने के वास्ते 38.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अन्वेषण तथा अध्ययन शुरू किए थे। सातवीं योजना के लिए कार्यक्रम में सवह-जल-,अन्तरण सम्पर्कों (लिंकों) में से पांच की व्यवहार्यता स्थापित करने के वास्ते अपेक्षित नदी बेसिनों, जलाशयों और सम्पर्कों (लिंकों) के आवश्यक अध्ययनों को पूरा करना है। इसके पश्चात् व्यवहार्यता अध्ययनों तथा सह-बेसिन राज्यों की सहमति के आधार पर सम्पर्कों (लिंकों) के संचालन के लिए निवेश के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता

1043. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि निर्धनों को निशुल्क कानूनी सहायता दिये जाने की वर्तमान योजना के अन्तर्गत अधिवक्ताओं को इतना कम पारिश्रमिक दिया जाता है कि वे ऐसे मामलों की पैरवी करना नहीं चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके पारिश्रमिक में वृद्धि करने और गरीब लोगों के मामलों की पैरवी करने के लिये अच्छे अधिवक्ताओं को प्रतिनियुक्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ मामलों को छोड़कर किसी भी विधिक सहायता और सलाह बोर्ड ने यह रिपोर्ट नहीं की है कि अधिवक्ताओं ने कम फीस के आधार पर विधिक सहायता के मामलों को स्वीकार नहीं किया है; और

(ख) अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक नियत करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और राज्य विधिक सलाह बोर्डों की है।

निर्धनों के लिए कानूनी सहायता योजना को क्रियान्वित करने हेतु मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

1044. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धनों को कानूनी सहायता दिये जाने